

One Time Settlement Scheme : एवं संक्षिप्त परिचय

- GST के पूर्व के सभी प्रकार के बकाया के समाधान हेतु वाणिज्य-कर विभाग द्वारा One Time Settlement Scheme लागू की गई है।
- इस योजना में सभी प्रकार के Interest, Penalty एवं Fine के बकाये पर 90 प्रतिशत की माफी है।
- निर्धारित कर के बकाये में 65 प्रतिशत की माफी है।
- इस योजना में वैसे बकायेदार भी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने कोई अपील अथवा रिभीजन दायर नहीं किया है।
- केन्द्रीय प्रपत्रों के मामले में, यदि ऐसे सभी प्रपत्र प्राप्त हो गये हैं, तो शत प्रतिशत माफी के प्रावधान हैं।
- यदि बकाये के मद में पूर्व से कोई राशि जमा है, तो समाधान की राशि उस सीमा तक कम हो जायेगी।
- उक्त योजना दिनांक 15 जनवरी, 2020 से मात्र तीन महीनों के लिये लागू है।
- किन्तु बकाया के निपटारे हेतु आवेदन दिनांक 25 मार्च, 2020 तक ही दिये जा सकते हैं।
- बकाया के निपटारे हेतु आवेदन प्रपत्र-I में संबंधित अंचल प्रभारी/अपर आयुक्त, प्रशासन अर्थात् वह कार्यालय, जहाँ से डिमांड नोटिस निर्गत हुई है, के प्रधान के समक्ष दाखिल किया जायेगा।
- बकाया के निपटारे हेतु आवेदन ई-मेल पर भी भेजे जा सकते हैं।
- अधिक जानकारी के लिये संबंधित अपर आयुक्त (प्रशासन) अथवा नजदीक के वाणिज्य-कर कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
- इस हेतु Help desk नम्बर 0612-2233512 से 16 पर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- विभागीय अधिसूचना वाणिज्य-कर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।